दक्षिण पश्चिम रेलवे/ **SOUTH WESTERN RAILWAY**

मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय/
Office of the Chief Workshop Manager
सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/ Carriage Repair Workshop
गदग रोड, हुबली ५८००२०/ Gadag Road, Hubli - 580020

No. UBLS/M/RTI/2026 Date: 30/09/2026.

To,
Shri Goutham Ganesh M H
[redacted]

विषय:/ Sub : Information sought under RTI Act, 2005 – Application No. SWRBD/R/E/26/00336 transferred on 29.08.2026 regarding OM No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022.
Ref: Your RTI application dated 29.08.2026 received via SWR Bengaluru Division.

With reference to the RTI application cited above, the information available in this office based on the records available is furnished as under:

Sl.	Information Sought For	Railway's Remarks
1	Copies of all circulars, office orders, instructions and guidelines issued by the organization for implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 regarding the use of regional languages in public information displays, boards and nameplates.	**Please See Annexure-I**
2	Details of the action taken to ensure the use of Kannada in all public information displays, boards, nameplates, entrance boards, directional signage, reception displays and digital display boards installed at the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	**Please See Annexure-II**
3	Copies of inspection reports, compliance reports, internal audits or review reports prepared to verify implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	
4	Copies of file notings, correspondence and communications relating to corrective measures taken wherever non-compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 was observed in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	
5	Details of the officer or department responsible for monitoring and ensuring compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	**Dy.CWM/RS/UBLS**

If you are not satisfied with the information provided, you may file an appeal before the First Appellate Authority within 30 days from the date of receipt of this reply.

Mahesh Gadakari
(Dy.CWM/RS/UBLS)

SOUTH WESTERN RAILWAY

ANNEXURE -I

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2026/प्र.-11/1

नई दिल्ली, दिनांक: 18.06.2026

महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	महानिदेशक
मध्य रेलवे, मुंबई	पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	भा.रे.रा.अकादमी, वडोदरा
पूर्व रेलवे, कोलकाता	पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर	अ.अ.मा.सं., लखनऊ
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली	उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	इरिसेन, पुणे
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर	इरिमी, जमालपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे,	दक्षिण पश्चिम रेलवे,हुब्बल्लि	इरिसेट, सिकंदराबाद
मालीगांव, गुवाहाटी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)	इरिएन, नासिक रोड
दक्षिण रेलवे, चेन्नै	मालीगांव, गुवाहाटी	इरिटिम, लखनऊ
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद	रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज	इरिफिम, सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता	बरेका, वाराणसी	प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	सडिका, चेन्नै	पटियाला रेल इंजन कारखाना,पटियाला
मेट्रो रेलवे, कोलकाता	रेडिका, कपूरथला	
पश्चिम रेलवे, मुंबई	चिरेका, चित्तरंजन	
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	रेपका, बेंगलुरु	
	आ.रे.डि.का., रायबरेली	

विषयः रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 18.02.2026 को माननीय रेल राज्य मंत्री (आर) की अध्यक्षता में आयोजित 'रेलवे हिंदी सलाहकार समिति' की 62वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत राजभाषा के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के प्रयोजन से समिति के सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त की मद सं. 6.2 एवं 10.9 पर सुझाव दिए गए हैं। बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाएं और की गई कार्रवाई से बोर्ड कार्यालय को अवगत कराएं।

संलग्नक-यथोक्त

राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, द. प. रेलवे,
गदग रोड, हुब्बल्लि-580020
525/
24/06/2026
Rajbhasha Department
Zonal Head Quarters Office,
SWR. Gadag Road, Hubballi-580020

18/6/26
(डॉ. वी.सुगुणा)
निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

मंत्री को सूचित करें

SOUTH WESTERN RAILWAY

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी/समिति/2026/38/01 नई दिल्ली, दिनांक:21.05.2026

विषय: दिनांक 18 फरवरी, 2026 को आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक का कार्यवृत्त।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार के संबंध में माननीय रेल राज्य मंत्री (आर) श्री रवनीत सिंह जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2026 को आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कार्यवृत्त की संबंधित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को निदेश देने तथा की गई कार्रवाई से बोर्ड कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का अनुग्रह करें।

वी सुगुण 21/5/26
(डॉ.वी. सुगुणा)
निदेशक/राजभाषा
एवं
सदस्य सचिव, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति/रेल मंत्रालय
फोन नं. 011-23303380

सं. हिंदी/समिति/2026/38/01 नई दिल्ली, दिनांक: .05.2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ
2. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।
3. महानिदेशक, इरिसेन/पुणे, इरिमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिएन/नाशिक रोड।
4. मुख्य राजभाषा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।
5. रेलवे बोर्ड के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों के प्रमुख।
6. सभी रेलों के मंडल रेल प्रबंधक।
7. सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली, सिटी सेंटर-II, भवन, 'बी' विंग, चतुर्थ तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110003

वी सुगुण 21/5/26
(डॉ.वी. सुगुणा)
निदेशक/राजभाषा
एवं
सदस्य सचिव, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति/रेल मंत्रालय

Scanned with OKEN Scanner

SOUTH WESTERN RAILWAY

माननीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2026 को रेल भवन में आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक का कार्यवृत्त

रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक माननीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह जी की अध्यक्षता में दिनांक 18 फरवरी, 2026 को 12.00 बजे रेल भवन के विचार (सम्मेलन कक्ष) में आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक 'क' पर प्रस्तुत है।

1. महानिदेशक (मानव संसाधन) का स्वागत संबोधन

महानिदेशक (मानव संसाधन), रेलवे बोर्ड ने रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक में माननीय रेल राज्य मंत्री (आर) श्री रवनीत सिंह जी एवं माननीय रेल राज्य मंत्री (एस) श्री वी. सोमन्ना जी, माननीय संसद सदस्य, समिति के अन्य गणमान्य सदस्यों तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इस बैठक में रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों के सुझावों से भारतीय रेल को नई दिशा मिलेगी और राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार में और वृद्धि होगी।

2. सदस्य सचिव द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

समिति की सदस्य सचिव के रूप में निदेशक, राजभाषा ने रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 05.05.2022 को संपन्न 61वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। साथ ही 31.12.2025 को समाप्त छमाही के दौरान रेलवे बोर्ड में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण भी प्रस्तुत किया।

माननीय सदस्यों के सुझाव

3. श्री कुन्तक मिश्र

श्री मिश्र जी ने निम्नानुसार अपने सुझाव दिए:-

3.1 सभी हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में राजभाषा प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जाए, ताकि कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बल मिल सके।

{कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण)}

SOUTH WESTERN RAILWAY

3.2 रेलवे स्टेशनों पर लगाए जाने वाले साइन बोर्ड नियमानुसार लगाए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डिजिटल बोर्ड में हिंदी की सामग्री अधिक हो।

{कार्रवाई: राजभाषा-I}

3.3 रेल कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त सभी मॉडयूल में तकनीकी शब्दों की अधिक मात्रा के दृष्टिगत तकनीकी शब्दावली पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिससे नए तकनीकी शब्दों की जानकारी देते हुए उनके प्रयोग को भी सुनिश्चित किया जा सके।

{कार्रवाई: हिंदी (विशेष-I)}

4. डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान

4.1 डॉ. चौहान जी ने सलाह दी कि रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों का निर्धारित समय-सीमा में आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

{कार्रवाई: हिंदी (समिति)}

4.2 रेल कार्यालयों/स्टेशनों में सेवा-प्रदाता निजी कंपनियों को भी राजभाषा के प्रयोग की गंभीरता के प्रति सजग करते हुए उनके द्वारा भी राजभाषा का प्रयोग-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

{कार्रवाई: सभी उपक्रम एवं हिंदी(विशेष)।}

4.3 इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सभी रेल कार्यालयों की वेबसाइट पर जानकारियां हिंदी में भी उपलब्ध हों और वेबसाइट का होमपेज By default हिंदी में ही खुले।

{कार्रवाई: राजभाषा-I एवं क्रिस}

4.4 रेल मंत्रालय विभिन्न रेल कार्यालयों द्वारा अंग्रेजी में प्रयुक्त तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्दों के निर्माण हेतु कार्य करे, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत-2047 की संकल्पना के क्रम में अग्रसर कदम होगा।

{कार्रवाई: हिंदी (विशेष)।}

4.5 रेलवे में राजभाषा के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए ताकि रेल कार्यालयों में राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

{कार्रवाई: स्थापना निदेशालय, राजभाषा-I}

5. श्री हिमांशु दुबे

5.1 श्री दुबे जी ने सलाह दी कि रेल मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में और हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषी क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष के लिए स्थानांतरित किया जाए, जिससे पूरे देश में हिंदी को समझने और कार्यालयीन कार्य में उसके प्रयोग में सहयोग मिल सके।

{कार्रवाई: सचिव की संबद्ध शाखाएं एवं राजभाषा-I}

5.2 रेल मंत्रालय द्वारा AI तकनीक का उपयोग के माध्यम से देश की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हुए एक एप विकसित किया जाए, जिससे स्टेशनों पर यात्रियों को यात्रा संबंधी सभी जानकारियां अपनी-अपनी भाषा में मिल सके।

{कार्रवाई: सीएंडआईएस निदेशालय एवं क्रिस}

5.3 पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं, लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद, भाषण, जयंती या काव्य-गोष्ठी आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हिंदीतर भाषी क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जिससे हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरुकता बढ़े।

{कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण)}

5.4 सभी रेल कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग की दिशा में हिंदी में हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

{कार्रवाई: सचिव, रेलवे बोर्ड, राजभाषा-II}

6. श्रीमती राखी राठौड़

6.1 'सामुदायिक वेदी' जैसी नई संकल्पना को लागू करते हुए 'ख' और 'ग' क्षेत्र में रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं खिलाडियों की उपलब्धियों पर स्थानीय भाषा व राजभाषा दोनों का प्रयोग करते हुए चर्चा-परिचर्चा की जाए, जिससे उन क्षेत्रों में कार्यरत लोग क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा को भी अपना सकें।

{कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण) एवं रेलवे खेलकूद संवर्द्धन बोर्ड}

6.2 रेल कार्यालयों में सरल हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विकसित लीला ऐप का उपयोग किया जाए।

{कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण) एवं राजभाषा-I}

6.3 रेल कार्यालयों में पदोन्नति के मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान रखने पर वरीयता दी जाए।

{कार्रवाई:सचिव की संबद्ध शाखाएं एवं राजभाषा-I}

6.4 रेलवे के वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा टिप्पणियों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो, जिससे अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी भी प्रेरित हों।

{कार्रवाई: राजभाषा-II}

7. श्रीमती संध्या लाल

7.1 अंडमान और निकोबार में रेलवे का कोई भी नेटवर्क नहीं है। चूंकि हिंदी के प्रयोग-प्रसार का सबसे सुगम माध्यम रेलवे है, इसलिए अंडमान और निकोबार में रेल नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए, जिससे अंडमान और निकोबार का 8249 कि.मी. क्षेत्रफल वाला आइलैंड/द्वीप रेल नेटवर्क से जुड़े और हिंदी का भी समुचित प्रयोग-प्रसार हो।

{कार्रवाई: कार्यपालक निदेशक गतिशक्ति, सिविल-I}

8. श्री जयराम विप्लव

8.1 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा होती है उसे ई-मेल के माध्यम से बैठक के आयोजन से पहले ही प्रेषित कर दिया जाए।

{कार्रवाईः हिंदी (समिति)}

8.2 सरकारी कामकाज में हिंग्लिश के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाए, ताकि हिंदी भाषा की गरिमा बनी रहे।

{कार्रवाईः राजभाषा-।।}

8.3 सरकारी दस्तावेज़ों में सरल एवं मानकीकृत हिंदी शब्दों का उपयोग हो और यह दस्तावेज़ डिजिटल और मुद्रित रूप में भी उपलब्ध हो जिससे रेलवे में नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

{कार्रवाईः हिंदी (विशेष)।}

9. डॉ.अरुण कुमार

9.1 सभी रेल कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संवैधानिक दायित्व के प्रति अवगत कराए और उनसे राजभाषा का प्रयोग सुनिश्चित कराए।

{कार्रवाईः राजभाषा-।।}

10. श्री राजकुमार चाहर, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

10.1 प्रतिवर्ष हिंदी सलाहकार समिति की चार बैठकें आयोजित की जाएं। साथ ही यह बैठकें दिल्ली से बाहर विशेष कर हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में भी आयोजित की जाएं।

{कार्रवाईः हिंदी (समिति)}

10.2 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को 'भारतीय रेल' तथा 'रेल राजभाषा' पत्रिकाओं का सदस्य बनाया जाए, ताकि सदस्यों को पत्रिकाओं की प्रति उन्हें नियमित रूप से प्राप्त होती रहे।

{कार्रवाईः जनसंपर्क निदेशालय, हिंदी (पत्रिका)}

10.3 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में नामपट्ट सदस्यों के नाम एवं पदनाम सहित लगवाए जाएं।

{कार्रवाई: हिंदी (समिति)}

10.4 बैठक की सूचना एवं कार्यसूची अग्रिम रूप में उपलब्ध कराई जाए ताकि समिति के सदस्य भी समय से अपने-अपने सुझाव दे सकें।

{कार्रवाई: हिंदी (समिति)}

10.5 रेलवे स्टेशनों पर सभी साइन बोर्ड नियमानुसार लगाए जाएं।

{कार्रवाई: राजभाषा-I}

10.6 रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्सों को सितंबर, 2025 के दौरान हिंदी पखवाड़े के अवसर पर किए गए कार्यक्रमों/आयोजनों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

{कार्रवाई: हिंदी (प्रशिक्षण)}

10.7 अगली बैठक बटेश्वर में आयोजित करने की सलाह दी। बटेश्वर अटल जी की जन्मस्थली है एवं एक पौराणिक स्थल है।

{कार्रवाई: हिंदी (समिति)}

10.8 रेलगाड़ियों में महिलाओं/वृद्धजनों/दिव्यांगजनों के लिए एक पैनिक बटन की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

{कार्रवाई:कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी (कोचिंग)}

10.9 पौराणिक स्थल के स्टेशनों पर भी कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएं।

{कार्रवाई:हिंदी(प्रशिक्षण)}

SOUTH WESTERN RAILWAY

11. माननीय रेल राज्य मंत्री (एस) श्री वी. सोमन्ना जी

11.1 माननीय रेल राज्य मंत्री (एस) जी ने अपने संबोधन में कहा कि रेल और हिंदी भारत की आत्मा हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रेल देश में हिंदी के प्रयोग-प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के लोगों में भी हिंदी के प्रयोग-प्रसार के प्रति जागरुकता बढ़ानी है और उन्हें हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करना है। इससे केन्द्र सरकार द्वारा देश के विकास हेतु संचालित विभिन्न परियोजनाओं से वे अवगत हो सकें और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'विकसित भारत' का सपना भी साकार हो।

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भी देश में हिंदी के प्रयोग-प्रसार हेतु संकल्परत हैं। हमें भी उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए भारतीय रेलवे के माध्यम से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करना है।

{कार्रवाई: राजभाषा-II}

12. माननीय रेल राज्य मंत्री (आर) श्री रवनीत सिंह जी का संबोधन

12.1 माननीय रेल राज्य मंत्री (आर) श्री रवनीत सिंह जी ने अपने संबोधन में कहा कि 'भारतीय रेल देश के विभिन्न प्रांतों को जोड़ती है, वैसे ही हिंदी भी पूरे देश को जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। आधुनिक तकनीक के इस दौर में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को रेलवे ने बखूबी समझा है और इसके उपयोग से हिंदी को बढ़ाने में अपना ऐतिहासिक योगदान भी दे रही है। अतः इस माध्यम का भरपूर लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना अधिकाधिक काम हिंदी में ही करें। आज की इस बैठक का मूल उद्देश्य और प्रयास राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज करना और हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाना है। इसके लिए आप सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।' तत्पश्चात् उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया तथा बैठक में उठाए गए तमाम सुझावों पर यथासंभव अमल करने का आश्वासन दिया।

****

SOUTH WESTERN RAILWAY

अनुलग्नक-'क'

दिनांक 18.02.2026 को आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 62वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

1. श्री रवनीत सिंह, माननीय रेल राज्य मंत्री (आर)
2. श्री वी. सोमन्ना, माननीय रेल राज्य मंत्री (एस)
3. श्री राजकुमार चाहर, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा
4. श्री कुन्तक मिश्र
5. डॉ. अरुण कुमार
6. श्रीमती संध्या लाल
7. श्री निशांत कुमार सिंह
8. श्री जयराम विप्लव
9. डॉ वीरेन्द्र सिंह चौहान
10. श्रीमती राखी राठौड़
11. श्री हिमांशु दुबे
12. श्रीमती राधा कात्याल नारंग
13. सदस्य वित्त
14. सदस्य अवसंरचना
15. सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक)
16. सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)
17. प्रधान कार्यपालक निदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएँ) - महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएँ) के प्रतिनिधि
18. महानिदेशक (मानव संसाधन) सह सचिव, रेलवे बोर्ड
19. महानिरीक्षक (प्रशासन) - महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल) के प्रतिनिधि
20. महानिदेशक (संरक्षा)
21. अपर सदस्य (मानव संसाधन)
22. कार्यपालक निदेशक, स्थापना (श्रम कानून)
23. निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड एवं सदस्य सचिव
24. सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, उपक्रमों एवं शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने आभासी रूप से भाग लिया।

*****

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी- 2012/रा.भा.-1/19/01 दिनांक :- 14 /07/2026

1. महाप्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ,
2. अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड,
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक सभी उपक्रम,
4. सभी प्रशिक्षण संस्थान.

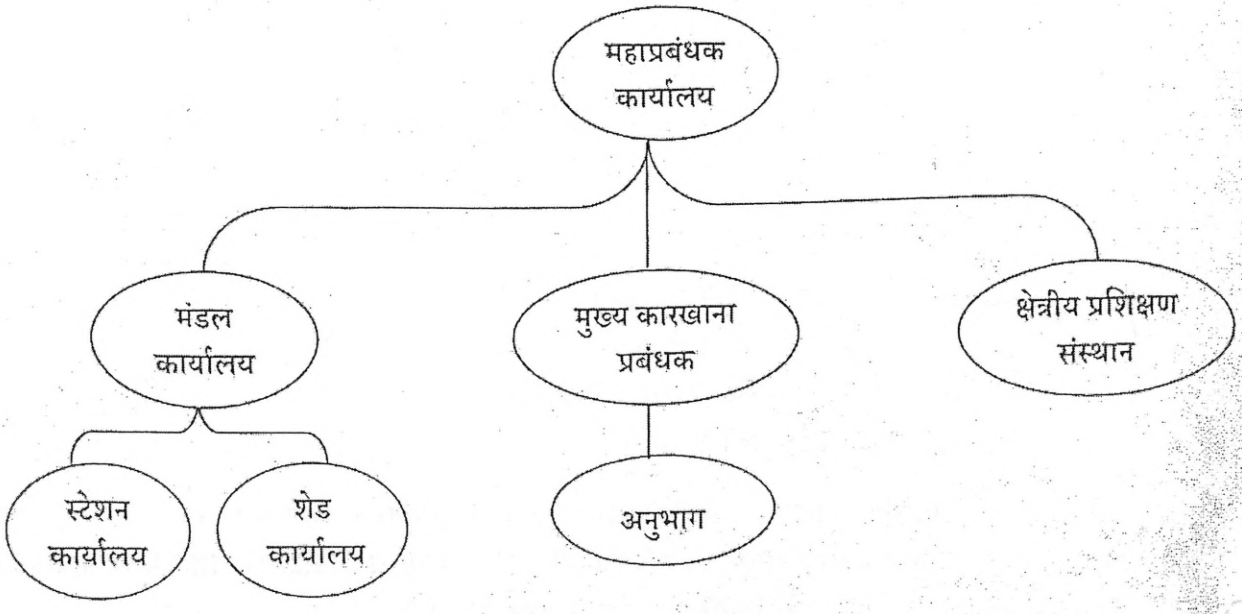
विषय:- भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में।
संदर्भ:- बोर्ड कार्यालय का दिनांक 16.12.2020, 23.12.2021, 18.04.2024, 05.01.2026 तथा 30.03.2026 का समसंख्यक पत्र।

भारतीय रेल के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा रेल भर्ती बोर्डों इत्यादि के मुख्यालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार का जायजा लेने हेतु संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा समय-समय पर राजभाषा हिंदी की प्रगति की निरीक्षण एवं समीक्षा किया जाता है। इसके अलावा, संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। सभी कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने का हरसंभव प्रयास किया जाए।

बोर्ड कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली की मदों को त्रुटि रहित भरने तथा सरल बनाने हेतु अनुपालनार्थ ध्यान देने योग्य दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी क्रम में, संसदीय राजभाषा समिति के हाल के निरीक्षणों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं/त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:-

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुख द्वारा अनिवार्यतः भाग लिया जाना चाहिए। यदि कार्यालय इस समिति का सदस्य नहीं है तो इसकी सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए।
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में अनिवार्यतः नियमित अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए।
3. प्रत्येक कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर के उपरांत ही मुख्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।
4. मुख्यालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुसार 30% (न्यूनतम) अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निरीक्षण का क्रम निम्नानुसार होना अपेक्षित है-

SOUTH WESTERN RAILWAY
SOUTH WESTERN RAILWAY



उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम-1976 के नियम-12 के अनुसार *'केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो'।*

अतः उपर्युक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त मदों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से बोर्ड कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं।

14/7

(विनीता वर्मा)
कार्यपालक निदेशक (स्थापना)/एल.एल.
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-
हिंदी अधिकारी, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।

राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, द. प. रेलवे,
गदग रोड, हुब्बल्लि–580020
55 4/
16/07/JUL/2026
Rajbhasha Department
Zonal Head Quarters Office,
SWR, Gadag Road, Hubballi-580020

सभी को सूचित करें
सतीश
17/7/26

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी-2011/रा.भा.-1/8/1 दिनांक:- 03/02/2026

1. महाप्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक सभी उपक्रम.
3. सभी रेल प्रशिक्षण संस्थान.
4. सभी रेल भर्ती बोर्ड.
5. रेल सुरक्षा विशेष बल, (बल मुख्यालय), दयाबस्ती.

विषय:- हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किए जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. बोर्ड कार्यालय का दिनांक 15.06.2017, 24.06.2020 व 10.01.2024 का समसंख्यक पत्र।
2. बोर्ड कार्यालय का दिनांक 23.08.2021 का पत्र सं. हिंदी 2021/रा.भा.1/23/8

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड कार्यालय के संदर्भाधीन पत्रों का अवलोकन करें, जिसके तहत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 28.05.2017 के का.ज्ञा. सं. 14013/07/2010-राभा(नीति-1) व दिनांक 07.04.2011 के का.ज्ञा. सं.14013/07/2010(नीति-1) को परिपत्रित करते हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में प्रयुक्त बोर्डों, साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों आदि पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रिभाषा नीति के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन पर विशेष ध्यान देते हुए राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था।

इसके अलावा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 04.12.2023 के अ.शा. पत्र सं.14013/07/2010-राभा(नीति) के तहत हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' एवं 'ग' भाषा क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्डों, नामपट्टों, दिशा-संकेतकों आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। उल्लेखनीय है कि बोर्डों, नामपट्टों, दिशा-संकेतकों आदि का संबंध आम-जनता से जुड़ा होता है तथा इनके संबंध में बोर्ड कार्यालय में माननीय सांसदों/विधायकों आदि के अभ्यावेदन तथा आरटीआई आदि प्राप्त होते रहते हैं।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त पत्रों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों पर विशेष ध्यान देते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रिभाषा नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

अमरीक 03/02/26

(अमरीक लाल)
संयुक्त निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:- बोर्ड कार्यालय की टीजी-4 तथा डब्ल्यू-II शाखाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी 2011/रा.भा.1/8/1

नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2024

महाप्रबंधक, (राजभाषा)
मध्य रेलवे, मुंबई
पूर्व रेलवे, कोलकाता
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी
दक्षिण रेलवे, चैन्ने
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
पश्चिम रेलवे, मुंबई
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

महाप्रबंधक, (राजभाषा)
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)
मैट्रो रेलवे, कोलकाता
सडिका, चैन्ने
रेडिका, कपूरथला
चिरेका, चित्तरंजन
रेपका, बैंगलूरू

महानिदेशक
भारतीय रे.रा.अकादमी, वडोदरा
इरीसेन, पुणे
इरीसेट, सिकंदराबाद
इरीएन, नासिक रोड

प्रबंध निदेशक
डीएफसीसीएल, नई दिल्ली
क्रिस, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष,
रेल भूमि विकास नि.लि., नई दिल्ली

रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण, दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कोंकण रेलवे, मुंबई
आरवीएनएल, नई दिल्ली
कंटेनर कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली
इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली
राइट्स, गुरुग्राम
रेलटेल, नई दिल्ली
आईआरसीटीसी, नई दिल्ली

प्रधान मु. प्रशा. अधिकारी,
पटियाला रेलइंजन कारखाना, पटियाला

विषयः हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं के प्रयोग, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड कार्यालय के दिनांक 15.06.2017 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके साथ राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 07.04.2011 का का.ज्ञा. सं 14013/07/2010-राभा(नीति-1) आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवाया गया था। तत्पश्चात, बोर्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 24.06.2020 एवं 23.08.2021 के समसंख्यक पत्रों के तहत इस संबंध में स्मरण भी कराया गया था।

अब इस बारे में संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 04.12.2023 का अ.शा. पत्र सं 14013/04/2022-रा.भा.(नीति) (प्रतिलिपि संलग्न) प्राप्त हुआ है जिसमें हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्दशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का आग्रह किया गया है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाएं और की गई कार्रवाई से इस पत्र के जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर अनुपालन रपट बोर्ड कार्यालय को निरपवाद रूप से भिजवाएं ताकि, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को अनुपालन रपट भिजवाई जा सके।

संलग्नक: यथोक्त

राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, द. प. रेलवे,
गदग रोड, हुब्बळ्ळि-580020

Rajbhasha Dept.
Zonal Head Quarters Office,
Gadag Road, Hubballi-580020

(रिसाल सिंह)
संयुक्त निदेशक, राजभाषा

SOUTH WESTERN RAILWAY

SOUTH WESTERN RAILWAY

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

अनुलग्नक

सं. हिंदी 2011/रा.भा.1/8/1

नई दिल्ली, दिनांक 02/02/2024

महाप्रबंधक, (राजभाषा)
मध्य रेलवे, मुंबई
उत्तर रेलवे
पूर्व रेलवे, कोलकाता
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी
दक्षिण रेलवे, चैन्ने
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
पश्चिम रेलवे, मुंबई
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली

महाप्रबंधक, (राजभाषा)
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)
मैट्रो रेलवे, कोलकाता
सडिका, चैन्ने
रेडिका, कपूरथला
चिरेका, चित्तरंजन
रेपका, बैंगलूरू

महानिदेशक
भारतीय रे.रा.अकादमी, वडोदरा
इरीसेन, पुणे
इरीसेट, सिकंदराबाद
इरीएन, नासिक रोड
प्रबंध निदेशक
डीएफसीसीएल, नई दिल्ली
क्रिस, नई दिल्ली
उपाध्यक्ष,
रेल भूमि विकास नि.लि., नई दिल्ली
रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण, दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कोंकण रेलवे, मुंबई
आरवीएनएल, नई दिल्ली
कंटेनर कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली
इरकॉन इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली
राइट्स, गुरुग्राम
रेलटेल, नई दिल्ली
आईआरसीटीसी, नई दिल्ली
प्रधान मु. प्रशा. अधिकारी,
पटियाला रेलइंजन कारखाना, पटियाला

विषयः हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं के प्रयोग, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

उपर्युक्त विषय पर कृपया बोर्ड कार्यालय के दिनांक 10.01.2024 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें तथा बोर्ड कार्यालय को अनुपालन रपट अविलंब भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि उससे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को यथाशीघ्र अवगत कराया जा सके।

अतः पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करवाएं और की गई कार्रवाई से बोर्ड कार्यालय को अविलंब अवगत कराएं।

2/2/24

(रिसाल सिंह)
संयुक्त निदेशक,राजभाषा

SOUTH WESTERN RAILWAY

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अ.शा. पत्र सं. 14013/04/2022-रा.भा.(नीति)

दिनांक 04.12.2023

महोदया / महोदय,

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक अर्द्ध-शासकीय पत्र दिनांक 26.05 2023, दिनांक 01.12.2022 एवं दिनाक 05.09.2022 और समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्रों के माध्यम से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा-क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषा(ओं) के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

3. आपके ध्यान में पुन: लाना है कि आपके मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।

4. अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबध में अपने मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

शुभेच्छु

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन/स्थापना/राजभाषा प्रभारी)
(संलग्न सूची के अनुसार)

ANNEXURE – II

दक्षिण पश्चिम रेलवे SOUTH WESTERN RAILWAY
महाप्रबंधक कार्यालय, राजभाषा विभाग, Office of the General Manager, Rajbhasha Department
रेल सौधा, हुब्बल्लि, गदग रोड, Rail Soudha, Hubballi, Gadag Road, -580 020
फोन नं. Phone No. 25034-23-083618, ईमेल E-Mail : srrba.swr.ubl@gmail.com

सं. दपरे/राभा/संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति /6A दिनांक 21-07-2026

मंडल रेल प्रबंधक (राजभाषा), हुब्बल्लि/बेंगलूरु/मैसूरु/DRM(OL), UBL/SBC/MYS
मुख्य कारखाना प्रबंधक (राजभाषा), हुब्बल्लि/मैसूरु/CWM(OL), UBLS/ MYSS
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)/निर्माण संगठन, बेंगलूरु CAO(OL), Con/BNC

विषय : भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ : कार्यपालक निदेशक (स्थापना) एल.एल. रेलवे बोर्ड का दिनांक 14-07-2026 का पत्र संख्या हिंदी-2012/रा.भा.-1/19/01

<<<>>>

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कार्यपालक निदेशक (स्थापना) एल.एल. रेलवे बोर्ड का दिनांक 14-07-2026 का पत्र संख्या हिंदी-2012/रा.भा.-1/19/01 की प्रतिलिपि आपके अवलोकन, सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक अनुपालन/कार्रवाई के लिए इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न : यथोक्त

संतोष कुमार 21/7/26.

राजभाषा अधिकारी एवं प्र.वि.स.के सचिव
Rajbhasha Adhikari & Secy.to PFA
कृते मुराधि / For MRA & PFA

SOUTH WESTERN RAILWAY

दक्षिण पश्चिम रेलवे
SOUTH WESTERN RAILWAY

सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना शाप / कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण के लिए चैक लिस्ट CHECK LIST FOR RAJBHASHA INSPECTION IN CRWS OFFICES	
निरीक्षण अधिकारी का नामः Name of the Officer Inspecting	श्री महेश गडकरी
पदनाम/ Designation	उप मुख्य कारखाना प्रबंधक
निरीक्षण की 'तारीख Date of Inspection	12.02.2026
निरीक्षित कार्यालय का नाम /Inspected Office	कार्मिक शाखा (संवर्ग अनुभाग)

*****

स./S.No.	मद/Item	Mark ✓लगाएं
1	द्विभाषी नाम पदनाम बैज Bilingual Name/Designation Badges.	✓हां /नहीं Yes/No
2	द्विभाषी कंप्यूटर की व्यवस्था Provision of bilingual computers.	✓हां /नहीं Yes/No
3	रजिस्टरों/डारारियों में हिंदी में प्रविष्टियां Entries in Hindi Registers Diaries	✓हां /नहीं Yes/No
4	नाम बोर्ड/सूचना बोर्ड द्विभाषी/त्रिभाषी Whether Name boards/Information boards are in bilingual/trilingual	✓हां /नहीं Yes/No
5	द्विभाषी रबड की मोहरें/सीलें Bilingual Rubber Stamps/Seals	✓हां /नहीं Yes/No
6	कार्यालय आदेश/परिपत्र/आरक्षण चार्ट द्विभाषी रूपं में जारी होते हैं. Office orders Circulars/Reservation Charts issued In bilingual form.	✓हां /नहीं Yes/No
7	विभाग बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त द्विभाषी रूपं में Agenda/Minutes of Departmental meetings in bilingual form	हां /नहीं✓ Yes/No
8	विवरण / Statements	✓हां /नहीं Yes/No
9	a. **NOTE:** संवर्ग अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि सभी कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानांतरण आदेश तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज द्विभाषी रूप (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) में ही जारी किए जाएँ। b. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी पत्रों/दस्तावेजों का पृथक धारा 3(3) फाइल में सुव्यवस्थित संधारण किया जाए, ताकि निरीक्षण के समय उसे आसानी से प्रस्तुत किया जा सके। c. धारा 3(3) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी दस्तावेज को केवल एक भाषा में जारी न किया जाए।	

SOUTH WESTERN RAILWAY
SOUTH WESTERN RAILWAY

	d. सभी सेवा अभिलेख, वरिष्ठता सूची, पदस्थापन आदेश एवं पदोन्नति संबंधी आदेश यथासंभव द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएँ। e. कार्यालय में प्रयुक्त सभी रजिस्टर, नामपट्ट, सूचना पट्ट एवं रबड़ मोहरें द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई जाएँ तथा उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। f. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों के साथ पत्राचार राजभाषा नियमों के अनुरूप हिंदी में किया जाए तथा संबंधित अभिलेख पृथक रूप से संधारित किए जाएँ। g. कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए तथा हिंदी टंकण एवं ई-ऑफिस कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। h. राजभाषा से संबंधित अभिलेख, प्रतिवेदन एवं प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर अद्यतन रखी जाएँ तथा निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करने हेतु तैयार रखी जाएँ।

प्रतिलिपि-
का का धि/हुब्बल्लि कारखाना
मु का धी/ हुब्बल्लि कारखाना

(महेश गडकरी)
उप मुराधि / उप मुकाप्र / हुब्बल्लि कारखाना
DY.MRA / DY.CWM / UBLS
उप मुख्य कारखाना प्रबंधक
Dy. Chief Workshop Manager
स.डि.म.का/ हुबली/ द.प.रेलवे.
C.R.W.S./HUBLI/S.W.Rly.

दक्षिण पश्चिम रेलवे

SOUTH WESTERN RAILWAY

सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना शाप / कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण के लिए चैक लिस्ट CHECK LIST FOR RAJBHASHA INSPECTION IN CRWS OFFICES	
निरीक्षण अधिकारी का नामः Name of the Officer Inspecting	श्री महेश गडकरी
पदनाम/ Designation	उप मुख्य कारखाना प्रबंधक
निरीक्षण की 'तारीख Date of Inspection	12.02.2026
निरीक्षित कार्यालय का नाम /Inspected Office	सवारी डिब्बा शॉप

*****

स./S.No.	मद/Item	Mark ✓लगाएं
1	द्विभाषी नाम पदनाम बैज Bilingual Name/Designation Badges.	✓हां /नहीं Yes/No
2	द्विभाषी नक्शे/आरेख आदि Bilingual Maps/Drawings etc.	हां /नहीं✓
3	रजिस्टरों/डारारियों में हिंदी में प्रविष्टियां Entries in Hindi Registers Diaries	✓हां /नहीं Yes/No
4	नाम बोर्ड/सूचना बोर्ड द्विभाषी/त्रिभाषी Whether Name boards/Information boards are in bilingual/trilingual	✓हां /नहीं Yes/No
5	द्विभाषी कंप्यूटर की व्यवस्था Provision of bilingual computers.	✓हां /नहीं
6	'क' तथा 'ख क्षेत्र के साथ हिंदी में पत्राचार Correspondence in Hindi with A & B region	हां /नहीं✓ Yes/No
7	द्विभाषी रबड की मोहरें/सीलें Bilingual Rubber Stamps/Seals	✓हां /नहीं Yes/No
8	कार्यालय आदेश/परिपत्र/आरक्षण चार्ट द्विभाषी रूप में जारी होते हैं. Office orders Circulars/Reservation Charts issued In bilingual form.	हां /नहीं✓
9	विवरण / Statements	✓हां /नहीं
10	अन्य कोई मद / Any other item - नोट- a. सामग्री रजिस्टर में प्रविष्टियाँ हिंदी में ही की जाएँ। b. पत्राचार के संबंध में सभी पत्र द्विभाषी रूप (हिंदी एवं अंग्रेज़ी) में जारी किए जाएँ तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी पत्रों हेतु पृथक धारा 3(3) फाइल का सुव्यवस्थित संधारण किया जाए। c. कार्यालय में प्रयुक्त सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ मोहरें एवं सीलें द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई जाएँ तथा उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। d. कार्यालय आदेश, परिपत्र, नोटिस एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाएँ तथा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए।	

(महेश गडकरी)

उप मुराधि / उप मुकाप्र / हुब्बल्लि कारखाना

DY.MRA / DY.CWM / UBLS

उप मुख्य कारखाना प्रबंधक
Dy. Chief Workshop Manager
स.डि.म.का/हुबली/द.प.रेलवे.
C.R.W.S./HUBLI/S.W.Rly.

SOUTH WESTERN RAILWAY

(149)

दक्षिण पश्चिम रेलवे/ SOUTH WESTERN RAILWAY

क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, रेल सौधा
राजभाषा विभाग
गदग रोड़, हुब्बल्लि

Zonal Headquarters' Office, Rail Soudha
Rajbhasha Department
Gadag Road,Hubballi-20

सं.दपरे/रा.भा.329/विविध/ No.SWR/OL329/Misc/119

दिनांक/Date: 04.03.2024

मंरेप्र/हुब्बल्लि/बेंगलूरु/मैसूरु
मुकाप्र/हुब्बल्लि/मैसूरु
मुप्रअधि/बें.छा.

विषय: हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रुप में प्रयोग करने वाले राज्यों में साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं के प्रयोग, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनाओं के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

संदर्भ:
1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 29.02.2024 का पत्र सं हिंदी 2011/रा.भा.1/8/1
2. रेलवे बोर्ड का दिनांक 08.02.2024 का पत्र सं हिंदी 2011/रा.भा.1/8/1

******

उपरोक्त संदर्भाधीन पत्र के संबंध में, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषा के प्रयोग से संबंधित अनुपालन की स्थिति इस कार्यालय को तत्काल भेजने की कृपा करें ताकि संकलित रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय को भेजा जा सके।

संलग्नक : यथोक्त

मो० नुरुद्दीन

(मो. नुरुद्दीन/ MD. Nuruddin)
राजभाषा अधिकारी एवं स.सा.प्र
Rajbhasha Adhikari & AMM
कृते मुराधि/ प्रमुसाप्र For MRA/PCMM

SOUTH WESTERN RAILWAY

UBLS

(53)

दक्षिण पश्चिम रेलवे

मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय,
सवारीडिब्बा मरम्मत कारखाना,
हिंदी अनुभाग, हुब्बल्लि
दिनांक: 04.03.2024

सं एल/पी329 / रेलवे बोर्ड/2024

मुख्य राजभाषा अधिकारी
प्रधान कार्यालय/ द प रे
हुब्बल्लि-580020

विषय : हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में साइन बोर्डों, नामपट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं के प्रयोग, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु पाधिकृत किया गया है।

उपरोक्त विषय में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हुब्बल्लि के अधीन सभी शॉप और कार्यालयों के नाम पट्ट तीन भाषाओं में प्रदर्शित किया गया है। जैसे -

1. प्रादेशिक भाषा - कन्नड
2. राजभाषा - हिंदी
3. अंतर्राष्ट्रीय भाषा - अंग्रेजी

उक्त वरीयता के अनुसार सभी शॉप, कार्यालयों और जन संपर्क स्थलों पर नाम पट्ट और बोर्डों को तैयार किया गया है। सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हुब्बल्लि में इसका अनुपालन किया जा रहा है ।

यह आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ।

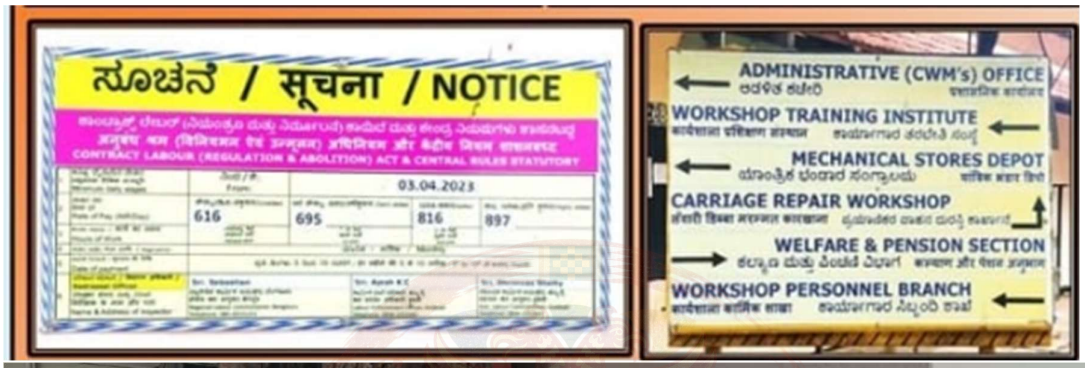
(रोनक प्रतीक)
उप मु का अ / उप मु का प्र / हुब्बल्लि कारखाना
DY.MRA / DY CWM / UBLS

राजभाषा विभाग
क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय, द. प. रेलवे,
गदग रोड, हुब्बल्लि-580020
102

Rajbhasha Department
Zonal Head Quarters Office
SWR, Gadag Road, Hubballi-5

TRILINGUAL BOARDS : Directions, sectin names, safety boards and 5S implementation
Public display boards are being implemented with regional languages











Safety board with regional language.